रा/विविध/मंडला/अ-21/2017/2073

6144

(20)

न्यायालय कलेक्टर मण्डला

(29)

मण्डला दिनांक 4 नवम्बर 2016

क्रमांक / 605 / रीडर / 2016

प्रति,

अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल म0प्र0
ग्वालियर

राजस्व मण्डल
2397
आवक क्र.......
दिनांक 15-11-16
मध्यप्रदेश ग्वालियर

विषय—निर्वर्तित राजस्व प्रकरण क्रमांक 126(अ—21)14—15 में पारित आदेश दिनांक 22.12.2015 के पुनर्विलाकन की अनुमति बाबद् ।

—00—

इस न्यायालय द्वारा निर्वर्तित विषयांतर्गत राजस्व प्रकरण क्रमांक 126(अ—21)2014—2015 दिनांक 22.12.2015 में भूमि विक्रय से सम्बंधित अनुमति देने का प्रश्न विचारण में लेकर निराकृत किया गया है । प्रकरण में आवेदक श्री संजय सोनी ने मण्डला तहसील के ग्राम सकरी जर में स्थित कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु परिवर्तित भूमि खसरा नं. 161 रकबा 0.330 हे. भूमि में से 0.268 हे. भूमि के विक्रय हेतु अनुमति दिये जाने का निवेदन किया था जो पारित आदेश में आवेदित रकबा 0.268 के स्थान पर 0.26 (अर्थात् 0.260) लिपकीय त्रुटि के कारण टंकित होकर तद्नुसार 0.26 हे. भूमि के विक्रय का आदेश पारित हो गया। इस आदेश से क्रेता को 0.008 हे. भूमि का कम विक्रय लाभ प्राप्त हो रहा है, इसलिये त्रुटिसुधार का पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

चूँकि उक्त आदेश मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किया गया है, अतः वांछित त्रुटि सुधार हेतु पुनर्विलोकन अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। सुलभ संदर्भ हेतु विषयांकित मूल प्रकरण तथा पुनर्विलोकन हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर संस्थित प्रकरण संलग्न कर भेज जा रहा है।

संलग्न—(1) राजस्व प्रकरण क्रमांक 126(अ—21)2014—15 पेज क्रमांक 01 से 90 तक
(2) पुन.प्रक.क्रमांक 09(अ—21)2015—2016 पेज क्रमांक 01 से 30 तक

कलेक्टर
जिला मण्डला

(3)

R— 18/11/16

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक / विविध / मण्डला / भू.रा. / 2017 / 2073 **जिला** – मण्डला

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07.02.2018	आवेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उन्हें पुनरावलोकन की अनुमति दिए जाने संबंधी आवेदन पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया, प्रकरण का अवलोकन किया। विचारोपरांत कलेक्टर मण्डला को उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.12.2015 के पुनरावलोकन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वे उभयपक्षों को सुनकर प्रकरण का निराकरण विधिवत करें। प्रशासकीय सदस्य	